

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/2151

दिनांक 13/02/2019

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री मुकेश वर्मा	वरिष्ठ लिपिक	सांगोद	कैथून
2	श्री यशवंत कुमार कुशवाहा	कनिष्ठ लिपिक	छबडा	कैथून
3	श्री तुलसीदास	कनिष्ठ लिपिक	केशवरायपाटन	कैथून
4	श्री देवीसिंह राठौड	चतुर्थ श्रेणी कर्म०	सादडी	रानी खुर्द
5	श्री नारायण गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	अलवर	खैरथल
6	श्रीमती सरिता	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	खैरथल
7	श्री गोपाल सांधिया	कनिष्ठ लिपिक	लाडनू	एपीओ निदेशालय
8	श्री नरेन्द्र सिंह नाथावत	फायरमैन	बून्दी	एपीओ निदेशालय
9	श्री राजेन्द्र कुमार हाडा	जमादार	बून्दी	एपीओ निदेशालय
10	श्री हययाज अली	झाईवर	बून्दी	एपीओ निदेशालय
11	श्री हरीश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	भिवाडी	अलवर
12	श्री सिंकन्दर	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	कोटा
13	श्रीमती पिकी महला	फायरमैन	रींगस	लाडनू
14	श्री संजय आचार्य	जमादार	गंगापुर	भीलवाडा
15	श्री रामेश्वर लाल शर्मा	च० श्रे० कर्मचारी	गंगापुर(भील.)	आसीन्द
16	सुश्री प्रियंका/श्री विनोद हरिजन	सफाई कर्मचारी	बडीसादडी	फतेहनगर
17	अरुण कुमार हरिजन	सफाई कर्मचारी	भिवाडी	हिण्डोनसिटी

अतः उक्त कर्मचारी को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/19/2/52-2214

दिनांक : 13/02/2015

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. महापौर/सभापति/आयुक्त/अध्यक्ष/अधिकाारी/नगर निगम  
/परिषद/पालिका,.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री .....
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)